रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240529 CG-DL-E-24112022-240529

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944 No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 नवम्बर 2022

फा. सं. एपीडा/पीएडी/2017-18/000044.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम,1985(1986 का 2) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भर्ती विनियम 2022 एतद्वारा निम्न प्रकार से संशोधित है, अर्थातः—

- 1. (i) यह विनियम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम संशोधित, 2022 है। (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे |
- 2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 के निम्नलिखित अनुसूची एतदद्वारा निम्न प्रकार से संशोधित है: —

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयन पद है या अचयन	सीधी भर्ती के लिए आयु	
					पद	सीमा	अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निदेशक	1* (2022) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह क	स्तर 13 (123100- 215900 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

7793 GI/2022 (1)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100 % प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्तिः महाप्रबंधक/सचिव के पद पर एपीडा में पांच वर्ष की नियमित सेवा; केंद्र सरकार के संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारी समान पद पर नियमित सेवा या वेतन स्तर 12 पर पांच वर्ष की नियमित सेवा	अतिरिक्त/संयुक्त सचिव, ईपी (कृषि) प्रभाग, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2	महाप्रबंधक	4* (2022) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह क	स्तर 12 (78800 - 209200 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नति पाने वालों / प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	की	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड / पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9 लागू नहीं	10 लागू नहीं	11 प्रोन्नति द्वारा	12 प्रोन्नति : उप महाप्रबंधक के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा	13 तिभागीय प्रोन्नति समितिः त. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष त. प्राधिकरण के दो सदस्य त. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय त. निदेशक, एपीडा त. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्र सरकार के उपयुक्त अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
3	सचिव	1 (2022)	समूह क	स्तर 12 (78800 – 209200 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अईताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100% प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: उप महाप्रबंधक के पद पर एपीडा में 5 वर्ष की नियमित सेवा; केंद्र सरकार के संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारी समान पद पर नियमित सेवा या वेतन स्तर 11 पर पांच वर्ष की नियमित सेवा	चयन समितिः 1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3.निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्र सरकार के उपयुक्त अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4	उप महाप्रबंधक	11* (2022) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह क	स्तर 11 (67700- 208700 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति	
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : सहायक महाप्रबंधक के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा	विभागीय प्रोन्नति समितिः 1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्र सरकार के उपयुक्त अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनस्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
5	सहायक महाप्रबंधक	24* (2022) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह क	स्तर 10 (56100- 177500 रुपए)	चयनित पद	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/खाद्य प्रसंस्करण/विदेश व्यापार/प्लांटेशन/प्रबंधन में स्नातक डिग्री जैसे कृषि प्रबंधन (ii) उपरोक्त क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीयः उपरोक्त विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट; उपरोक्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन।

सीधी भर्ती किए परिवीक्षा जाने वाले व्यक्तियों की अवधि के लिए विहित आयु यदि कोई और शैक्षणिक है अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9 10 प्रोन्नति के लिए: प्रोन्निति नहीं; के लिए प्रितिनियुक्ति के लिए तीन वर्ष; हां सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष	11 50% विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति और 50% सीधी भर्ती द्वारा	नियागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : प्रबन्धक पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक के पदों पर 10 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा अथवा सहायक प्रबन्धक के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा टिपण्णी: 1. वर्तमान पदधारी जिन्होंने इस संशोधन विनियम अधिसूचना के जारी तारीख पर प्रबन्धक पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक के पदों पर 8 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा अथवा सहायक प्रबन्धक के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो विभागीय पदोन्नति परीक्षा के प्रविष्टि के योग्य है 2. इस संबंध में विभागीय परीक्षा आयोजित करने और चयन समिति के गठन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले	13 लागू नहीं

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और
٦.	गाम			परामाग -	पद	ालए जायुसामा	अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
6	प्रबंधक	2* (2022) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह ख	स्तर 7 (44900- 142400 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	जिनसे प्रतिनियक्ति/प्रोन्नति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : सहायक प्रबंधक के पद में पांच वर्ष की नियमित सेवा	 सिमिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष निदेशक/ उप

		सचिव, वाणिज्य
		विभाग, वाणिज्य और
		उद्योग मंत्रालय
		3. निदेशक, एपीडा
		4. सचिव/ कार्मिक और
		प्रशासन विभाग के
		महाप्रबंधक
		5. अनुसूचित जाति /
		अनुसूचित जन जाति/
		अल्पसंख्यक आयोग
		(एमसी) से केंद्र सरकार
		के उपयुक्त अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सहायक प्रबंधक	39* (2022) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह ख	स्तर 6 (35400- 112400 रुपए)	चयनित पद	30 वर्ष से अधिक नहीं	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यः कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/खाद्य प्रसंस्करण/विदेश व्यापार/प्लांटेशन/प्रबंधन में स्नातक डिग्री जैसे कृषि प्रबंधन वांछनीयः उपरोक्त विषय में स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट; उपरोक्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
प्रोन्नति के लिएः नहीं; प्रतिनियुक्ति के लिएः हां	प्रोन्नति के लिए तीन वर्ष; सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा और (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नतिः कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा; सहायक कार्यपालक के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा; रोकड़ कार्यपालक (कैशियर) के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा	सिमिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष तिदेशक / उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तिदेशक, एपीडा सिचव/ कार्मिक और प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक उनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/

	अल्पसंख्यक आयोग
	(एमसी) से केंद्र
	सरकार के उपयुक्त
	अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
8	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1* (2022) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह ख	स्तर 6 (35400- 112400 रुपए)	लागू नहीं	30 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री जिस के साथ डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ली गई हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी ली गई हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में हिंदी माध्यम में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ली गई हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी ली गई हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी ली गई हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो; और

			सरकार के किसी कार्यालय, जिनमें भारत
			सरकार के उपक्रम भी शामिल है, से हिंदी
			से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद
			कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	तीन वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी - पदस्थ व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किंही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक वर्षों के लिए पद से अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है जो:- (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव धारण करते हों।	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
9	सहायक कार्यपालक	13 (2022)	समूह ग	स्तर 4 -25500) (रुपए 81100	अचयनित	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि	भर्ती की पद्धतिः प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ सहायक कार्यपालक पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा;	1. अध्यक्ष - निदेशक 2. सचिव, एपीडा 3. कार्मिक एवं प्रशासन प्रभाग से समूह 'क' के अधिकारी 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/

	अल्पसंख्यक	आयोग
	(एमसी) से केंद्र	: सरकार
	के उपयुक्त अधि	ग्रेकारी। -

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
10	रोकड़ कार्यपालक	1 (2022)	समूह ग	स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	अचयनित	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	की अवधि यदि कोई		प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति / चयन समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	तीन वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी - पदस्थ व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किंही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक वर्षों के लिए पद से अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है जो:- (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव धारण करते हों।	लागू नहीं	लागू नहीं

सामान्य टिप्पणी 1: जहां प्रोन्नति को भर्ती के पद्धित के रूप में निर्धारित किया गया है / भर्ती की पद्धित 'प्रितिनियुक्ति/प्रोन्नित' के अलावा अन्य में से एक है, निम्नलिखित शर्त उन पदों/ग्रेड के संबंध में लागू होगी जिनसे प्रोन्नित की जानी है: जहाँ किनष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है | उनके विरष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्त कि वे अपेक्षित योग्यता या अर्हता ऐसी योग्य या अर्हक सेवा के आधे से अधिक से कम ना हो या 2 वर्ष तक, जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड पर अपने किनष्ठों सिहत पदोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो |

सामान्य टिप्पणी 2: जहां इन विनियमों के अंतर्गत एक से अधिक ग्रेड/पदों से किसी ग्रेड/पद पर प्रोन्नति की जाती है वहां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसरण में विभिन्न फीडर ग्रेडों से पात्र अधिकारियों की एक संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

सामान्य टिप्पणी 3: जहां प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति को भर्ती की पद्धति/भर्ती की पद्धतियों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे ग्रेडों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है:

(1) फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ योग्य नहीं होंगे | इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ योग्य नहीं होंगे।

- (2) फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, पद/रिक्ति को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।
- (3) प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि तीन वर्ष की होगी जिसे वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम लगातार अवधि पांच वर्ष होगी। केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक/स्वायत निकाय (निकायों) के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्य तौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |

सामान्य टिप्पणी 4: जहां सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, वहां निम्नलिखित शर्त लागू होगीः

डाक (स्पीड पोस्ट सहित) /कूरियर द्वारा आवेदन जमा करने की स्थिति में, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (यह निर्धारित अंतिम तारीख उनके लिए लागू नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर, लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपप्रभाग, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्विपों में रहते हैं।)

सामान्य टिप्पणी 5: जहां सीधी भर्ती को भर्ती की पद्धति/ भर्ती की पद्धतियों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्ते लागू होंगी:-

- (1) अन्यथा रूप से विधिवत अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है।
- (2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित योग्यता (ओं) में छूट दी जा सकती है। यदि चयन के किसी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सामान्य टिप्पणी 6: सीधी भर्ती के मामले में, सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य योग्यता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

सामान्य टिप्पणी 7: उक्त पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अपेक्षित सेवा अविध (पात्रता सेवा) के साथ फीडर ग्रेड/पद में अधिकारियों की अनुपलब्धता के मामले में, इस तरह की प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों के तहत अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और अनुभव निर्धारित करके प्रतिनियुक्ति द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित पदों (पदों) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरने हेतु अधिकार सुरक्षित है। इस तरह की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी जिससे पदोन्नति योग्य अधिकारी जिन्होंने फीडर ग्रेड / पद में सेवा की अपेक्षित अविध (पात्रता सेवा) पूरा कर लिया हो अथवा पूरा करने वाले हो उन्हें आगामी निर्णायक तारीख को पदोन्नति हेतु विचार किया जा सके। विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

डॉ. एम. अंगमुथु, अध्यक्ष, एपीडा

[विज्ञापन-III/4/असा./427/2022-23]

पाद टिप्पणी :- प्रमुख विनियम अधिसूचना संख्या – एपीडा/पीएडी/2017/18/000044 द्वारा दिनांक 13 जून 2022 को प्रकाशित किए गए |

AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

- **F. No. APEDA/PAD/2017-18/000044.** In exercise of powers conferred under Section 33 read with sub section 3 of section 7 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Regulations-2022 in the following manner namely:—
- 1. (i) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Amendment Regulations 2022.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Regulations, 2022, the Schedule attached therewith shall be replaced with the following Schedule:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
1	Director	1* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group A	Level 13 (Rs. 123100 – 215900)	Selection Post

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	100% by Deputation

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Deputation:	Selection Committee:
General Manager/Secretary of APEDA with five years regular service in the post;	1. Additional/Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry looking after EP(Agri) Division as Chairman of the Committee
Officer of Organized Group 'A' Services of the Central	2. Chairman, APEDA
Government holding analogous posts on regular basis	3. Two Members of the Authority
or with five years regular service in the Pay Level 12	4. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
2	General Manager	4* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group A	Level 12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection Post

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Promotion:	Departmental Promotion Committee:
Deputy General Manager with 5 years regular service in the	1. Chairman as Chairman of the Committee
post	2.Two Members of the Authority
	3.Director, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
	4.Director,APEDA
	5.An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non- selection Post
1	2	3	4	5	6
3	Secretary	1 (2022)	Group A	Level 12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection Post

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	100% by Deputation//Promotion

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from	If Departmental Promotion
which Deputation/Promotion to be made	Committee/Selection Committee exists what
	is its composition
12	13
Deputation:	Selection Committee:
Deputy General Manager of APEDA with five years regular service	1.Chairman as Chairman of the
in the post;	Committee
	2.Two members of the Authority

Officer of Organized Group 'A' Services of the Central Government holding analogous posts on regular basis or with five years regular	3.Director, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
service in Pay Level 11	4.Director,APEDA
	5.An Officer of appropriate level of Central Goyt, from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
4	Deputy General	11*	Group A	Level 11 (Rs.	Selection Post
	Manager	(2022)		67700 – 208700)	
		*subject to variation			
		dependent on workload			

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation		Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	Ģ)	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		Not Applicable	100% By Promotion
In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made			If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition		
	12				13
Promotion:			Departmental Promotion Committee:		
Assistant Gene	ral Manager with 5	years regular	1.Chairman as Chairman of the Committee		
service in the post			2.Two members of the Authority		
			 3.Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4.Director,APEDA 5.An Officer of appropriate level of Central Govt. from 		
			SC/ST/MC.		

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
5	Assistant	24*	Group A	Level 10 (Rs.	Selection Post
	General	(2022)		56100 – 177500)	
	Manager	*subject to variation			
		dependent on workload			

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not exceeding 35 years	Essential: (i) Bachelor Degree in Agriculture/ Horticulture/ Veterinary/ Food Processing/ Foreign Trade/	For Promotion: No; For Deputation: Yes	Three years for promotees; Three years	50% by Promotion through Departmental Examination and 50% by Direct

Plantation/Management Degree in the above fields e.g. Agriculture Management from recognized University/Institution (ii) Five years experience in the above fields post acquiring the above educational qualification	for Direct Recruits	Recruitment
<u>Desirable</u> : Master Degree / Doctorate in the above specializations from recognized University/Institution; publication of papers in international journals in the above fields		

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Promotion through Departmental Examination: Officers holding the post of Manager with 5 years regular service in the post OR with 10 years combined regular service in the posts of Manager and Assistant Manager OR Officers holding the post of Assistant Manager with 10 years regular service in the post	Not Applicable
Note: 1. Existing officers holding the post of Manager on the date of notification of these amendment regulations, on completion of 3 years regular service in the post; OR 8 years combined regular service in the posts of Manager and Assistant Manager; OR existing officers holding the post of Assistant Manager on the date of notification of these amendment regulations, on completion of 8 years regular service in the post are eligible for appearing in the departmental examination.	
2. Regulations/Rules/Orders prescribing procedure for holding Departmental Examination and constitution of Selection Committee shall be issued separately.	

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
6	Manager	2* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 7 (Rs. 44900 - 142400)	Selection Post

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Promotion: Assistant Managers with five years regular service in the post	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 3. Director, APEDA 4. Secretary/GM in-charge of P&A 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5	6
7	Assistant Manager	39* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Selection Post

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not exceeding 30 years	For Direct Recruitment Essential: Bachelor Degree in Agriculture/ Horticulture/ Veterinary /Food Processing / Foreign Trade/ Plantation/ Management Degree in the above fields e.g. Agriculture Management from recognized University/Institution Desirable: Master Degree in the above specializations from recognized University/ Institution, publication of papers in international journals in the above fields	For Promotion: No; For Deputation: Yes	Three years for promotees; Three years for Direct Recruits	(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment and (ii) 50% by direct recruitment

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Promotion:	1.Chairman as Chairman of the Committee
Executive (EDP) with 6 years regular service in the post; Assistant Executive with 10 years regular service in the post; Cash Executive (Cashier) with 10 years regular service in the post.	 2.Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 3.Director,APEDA 4. Secretary/GM in-charge of P&A 5.An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classifi- cation	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non- selection Post	Age Limit for Direct Recruitment
1	2	3	4	5	6	7
8	Junior Hindi Translator	1* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Not Applicable	30 years

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other	Not Applicable	Three years
than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR		
Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND		
(ii) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.		

Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
11	12	13
Direct recruitment	Not Applicable	Not Applicable
Note		
Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under		

other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on	
regular basis in the parent cadre/department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.8.	

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non- selection Post
1	2	3	4	5	6
9	Assistant Executive	13 (2022)	Group C	4 (Rs. 25500 – 81100)	Non – Selection

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition		
12	13		
Junior Assistant Executive with eight years' regular service in the post	 Director as Chairperson Secretary, APEDA Group A officer in charge of Personnel & Administration An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC. 		

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non- selection Post
1	2	3	4	5	6
10	Cash Executive	1 (2022)	Group C	4 (Rs. 25500 – 81100)	Non – Selection

Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
12	13
Junior Assistant Executive with eight years' regular service in the post	 Director as Chairperson Secretary, APEDA Group A officer in charge of Personnel Administration An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

General Note 1: Where promotion has been prescribed as method of recruitment/one of the methods of recruitment other than the method of 'By Deputation/Promotion', the following condition shall apply in respect of grades/posts from which promotion is to be made:

Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

General Note 2: Where promotions to a grade/post are made from more than one grade/post under these regulations, a combined eligibility list of the eligible officers from various feeder grades shall be prepared in accordance with the instructions/orders issued by DOPT, Government of India.

General Note 3: Where Deputation/Promotion has been prescribed as method of recruitment/one of the methods of recruitment, the following conditions shall apply to grades from which Deputation/Promotion is to be made:

- (1) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly officer on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- (2) In case of appointment of departmental officers in the feeder category, the post/vacancy will be deemed to have been filled by promotion.
- (3) The initial period of deputation shall be three years extendable on year to year basis. The maximum continuous period of deputation shall be five years. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government/State Government/Statutory/Autonomous Body(s) shall ordinarily not exceed five years.
- (4) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications

General Note 4: Where Age Limit has been prescribed for Direct Recruitment, the following condition shall apply:

In the case of requirement of submission of applications by post (including speed post) /courier, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu, Kashmir, Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)

General Note 5: Where Direct Recruitment has been prescribed as the method of recruitment/one of the methods of recruitment, the following provisions shall apply in regard to Educational and other qualifications required for direct recruitment:

- (1) Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
- (2) The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

General Note 6: In the case of direct recruitment, the crucial date for determining the age limit, educational and other qualifications prescribed for direct recruitment shall be the closing date for receipt of applications from candidates

General Note 7: The competent authority reserves the right to fill the post(s) earmarked for promotion by deputation by prescribing appropriate educational qualifications and experience as may be required under the rules/orders issued by DOPT, Government of India for such deputation, in case of non-availability of officers in the feeder grade/post with requisite length of service (eligibility service) prescribed for promotion to the said post(s). The position of officers on such deputation shall be reviewed on year to year basis so as to consider officers having completed or who would complete, on the ensuing crucial date of promotion, the requisite length of service (eligibility service) in the feeder grade/post. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly officer on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Dr. M. ANGAMUTHU, Chairman, APEDA [ADVT.-III/4/Exty./427/2022-23]

Footnote:- The Principal Regulations were published by notification No. 295 (F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044) dated 13th June 2022.